ISSN 0976-1039

शोधार्थी

समाज विज्ञान की विद्वत समिति समीक्षित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

सम्पादक

डॉ. अनिल कुमार वर्मा

सेन्टर फॉर दि स्टडी ऑफ सोसाइटी एण्ड पॉलिटिक्स (सीएसएसपी), कानपुर
www.shodharthy.com

शोधार्थी

समाज विज्ञान की विद्वत समिति समीक्षित,त्रैमासिक शोध पत्रिका

वर्ष 2023, अंक- तृतीय

अनुक्रम

क्रम	लेख	लेखक	पृष्ठ
1	समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की प्रवृत्तियाँ	लीलाराम गुर्जर	1-3
2	रूसो : तर्क के विरुद्ध विद्रोह	मैरी एन ग्लैडन	4-8
3	मैक्फ़र्सन का लोकतान्त्रिक सिद्धांत	माइकल क्लार्क, रिक टिलमैन	10-15
4	पाकिस्तान के राजनीतिक पटल पर नवाज़ शरीफ़ की वापसी	आशीष शुक्ल	16-22
5	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और चीन : एक मूल्यांकन	अभिषेक प्रताप सिंह	23-28
6	प०बंगाल की बदलती राजनीति	प्रतीप चट्टोपाध्याय	29-32
7	मणिपुर में जातीय संघर्ष	लैतोनजाम मुहिन्द्रो	33-38
8	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस	नैना गुप्ता	39-45
	यूट्यूब लेक्चर		
9	फ्रैंकफर्ट स्कूल	ए के वर्मा	46-51
	शोधार्थी शब्दकोष		52-62
	पूर्व प्रकाशित लेखों की सूची		

पाकिस्तान के राजनीतिक पटल पर नवाज़ शरीफ़ की वापसी

आशीष शुक्ल*

पाकिस्तान में आतंरिक राजनीति पर नजर रखने वाले विश्लेषक अक्सर उसकी आश्चर्यचकित कर देने की क्षमता से परिचित होने के कारण कोई सटीक भविष्यवाणी करने से कतराते हैं। वहाँ की राजनीति की प्रकृति में जटिलता के साथ-साथ अद्भुत गत्यात्मकता का समावेश है जो उसमें दिन-प्रतिदिन आने वाले बदलाव को निर्देशित करती है। अभी हाल ही तक जिस नवाज़ शरीफ़ के राजनीतिक जीवन के ताबूत में न्यायपालिका के माध्यम से आजीवन प्रतिबन्ध की कील लगाई जा चुकी थी, अब उसी नवाज़ शरीफ़ को पाकिस्तान में अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के कुछ मूलभूत तथ्यों को जानने की आवश्यकता है। वस्तुतः पाकिस्तानी राजनीतिक व्यवस्था को एक मिश्रित राजनीतिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता हैं जहाँ राजनीतिक दलों व नेताओं के अतिरिक्त सुरक्षा अधिष्ठानों, खासकर वहाँ की थल सेना, का अच्छा-खासा वर्चस्व रहता है। शुजा नवाज़ अपनी किताब 'क्रॉस्ड स्वार्ड्स' में लिखते हैं कि पाकिस्तान की नियति को सेना के 15-20 बड़े अफसर नियंत्रित करते रहे हैं।

पाकिस्तान की थल-सेना देश की आतंरिक राजनीति में एक सबसे अच्छी तरह से स्थापित राजनीतिक दल के रूप में कार्य करती है और बिना चुनावी राजनीति में प्रत्यक्ष प्रतिभाग किए हमेशा शासन में रहती है। शुरुआती कुछ समय को छोड़कर, सन 1947 में पाकिस्तान के जन्म से लेकर आज तक कुल मिलाकर लगभग तीन दशकों तक, फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल याह्या खान, जनरल जिया-उल-हक़ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी संवैधानिक शपथों का उल्लंघन करते हुए प्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर काबिज़ रहे। बाकी के समय में भी सेना ने अप्रत्यक्ष रूप से परदे के पीछे रहकर देश की राजनीति को संचालित किया। नवाज़ शरीफ़ की पाकिस्तानी राजनीति से बेदखली और पुनर्वापसी के खेल में शीर्ष सैन्य नेतृत्व की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। उनकी हालिया राजनीतिक यात्रा की कायापलट करने के केंद्र में पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 62(1)(f) है।

आंतरिक राजनीति में सैन्य प्रभाव सन्

सन् 1973 के नवीनतम संविधान के अनुच्छेद 62 में मज़लिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्यों की योग्यता-संबंधी शर्तों का उल्लेख है जबकि अनुच्छेद में 63 में उन्हें अयोग्य करार देने संबंधी आधार, शर्तें और समय-सीमा का वर्णन है। जनरल जिया उल हक़ ने अपने सैन्य शासनकाल के दौरान संविधान के अनुच्छेद 62 में एक उपबंध 1(f) जोड़ दिया था जिसके अनुसार अन्य शर्तों के साथ-साथ मज़लिस-ए-शूरा (संसद) के सदस्यों को अब "समझदार, न्याय-परायण, सच्चरित्र, ईमानदार एवं विश्वसनीय" भी होना था। इसमें लेश मात्र का भी संदेह नहीं है कि इस तरह की शर्त जिया उल हक़ ने इसीलिए जोड़ी थी ताकि भविष्य में किसी ताकतवर राजनीतिक नेता को सत्ता से बेदखल किया जा सके। ऐसी आवश्यकता न तो उनके स्वयं के कार्यकाल के दौरान पड़ी और न ही अगले सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल के दौरान ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई।

***डॉ आशीष शुक्ला,** मनोहर परिकर इंस्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज एंड एनालिसिस, नई दिल्ली में एसोसिएट फेलो हैं।

जनरल जिया उल हक़ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कार्यकालों के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रीय पटल पर दो महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय नेता हुए—बेनज़ीर भुट्टो एवं नवाज़ शरीफ़। पाकिस्तानी सेना ने इन दोनों को एक-दूसरे के विरुद्ध सफलतापूर्वक इस्तेमाल करते हुए दो-दो बार बिना किसी विशेष चुनौती के सत्ता से बेदखल किया। इसका दूसरा पहलू यह भी था कि नब्बे के दशक में दोनों लोकप्रिय नेता दो बार पाकिस्तानी सत्ता के शीर्ष पर विराजमान रहे। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के शासनकाल के उत्तरार्द्ध में दोनों शीर्ष नेताओं ने "चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी" के अंतर्गत इस बात पर सहमत हुए कि भविष्य में पाकिस्तान की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में वह सेना के हाथ की कठपुतली की तरह एक दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं होंगे। यह सहमति 2007 में आतंकवादी हमले में बेनज़ीर भुट्टो की मौत के बाद भी बरक़रार रही और पी.पी.पी. एवं पी.एम.एल.-एन. ने पाकिस्तान में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए मिलकर कार्य किया। सेना के हस्तक्षेप के प्रयासों के बावजूद मज़लिस-ए-शूरा (संसद) ने लगातार दो बार अपना कार्यकाल पूरा किया। हालाँकि इस दौरान प्रधानमंत्रियों को अपने निर्धारित कार्यकाल से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ा था।

इमरान खान का उदय एवं नवाज़ शरीफ़ का अवसान

चूँकि देश के दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों—पी.पी.पी. एवं पी.एम.एल.एन. सेना की राजनीति पर पकड़ को कमज़ोर करने के लिए प्रयासरत थे, तो सेना को अपने 'राजनीतिक हितों' की रक्षा करने के लिए विकल्पों की तलाश करनी पड़ी। उसकी यह तलाश जल्द ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पी.टी.आई।) के रूप में पूरी होती प्रतीत हुई क्योंकि इस दल की कमान क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान के हाथ में थी जो खुद के लिए राजनीतिक ज़मीन तैयार करने में लगे थे। इमरान खान और सेना दोनों को भिन्न-भिन्न कारणों से एक-दूसरे की जररूरत थी। सेना को पी.पी.पी. और पी.एम.एल.एन. को सत्ता से बाहर रखना था तो इमरान खान को सत्ता के शीर्ष पर होना था। दोनों के उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में उस समय सबसे बड़ी बाधा नवाज़ शरीफ़ थे, इसलिए सेना ने सबसे पहले उन्हें रास्ते से हटाने के लिए प्रयास आरम्भ किया। इस कार्य में पूर्व की भाँति पाकिस्तानी न्यायपालिका ने सेना का भरपूर साथ दिया।

सन् 2016 में पनामा पेपर लीक में प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ का नाम भी सामने आया जिसे राजनीतिक रूप से भुनाने के लिए एक ओर तो इमरान खान की पीटीआई ने कमर कस ली थी। वहीँ दूसरी ओर पाकिस्तान के सुरक्षा अधिष्ठानों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए इसे एक राष्ट्रीय मुद्दे में परिवर्तित कर दिया। तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाज़वा ने पाकिस्तानी मीडिया को नवाज़ शरीफ़ के विरुद्ध माहौल बनाने तथा इमरान खान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जिसके फलस्वरूप इमरान खान के राजनीतिक जीवन का उत्थान प्रारंभ हुआ और नवाज़ शरीफ़ के शासन पर पर्दा गिरने लगा। सन 2017 तक आते-आते यह स्पष्ट हो चुका था कि सेना नवाज़ शरीफ़ को सत्ता से बेदखल करने के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। अप्रैल 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की एक पाँच-सदस्यीय खण्डपीठ, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा कर रहे थे, ने नवाज़ शरीफ़ को अनुच्छेद 62(1)(f) के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उन्हें सार्वजनिक पदों पर बने रहने के लिए अयोग्य करार दे दिया जिसकी परिणति उनके द्वारा प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र के रूप में हुई।

यह जानना काफी रोचक है कि नवाज़ शरीफ़ को 2018 के चुनाव के समय दाखिल हलफ़नामें में अपने बेटे की कम्पनी 'कैपिटल एज' में बतौर बोर्ड चेयरमैन मिलने वाली तनख्वाह का जिक्र नहीं करने के लिए दोषी माना गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस 'झूठ' के लिए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 62(1)(f) के तहत दोषी माना और सार्वजानिक पदों के लिए अयोग्य करार दे दिया। इस मुद्दे पर नवाज़ शरीफ़ के पक्ष को पूरी तरह नकार दिया गया जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि उन्होंने वास्तव में अपने बेटे की कम्पनी से कोई वेतन लिया ही नहीं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नवाज़ शरीफ़ ने अपने राजनीतिक निर्वासन के दौरन अपने बेटे की कम्पनी में वह पद संयुक्त अरब अमीरात में लम्बी अवधि का वीज़ा लेने के उद्देश्य से ही संभाला था।

नवाज़ शरीफ़ को दोबारा चुनाव लड़ने व सार्वजनिक पदों के लिए अयोग्य करार दिए जाने के बाद इमरान खान का सत्तासीन होना एक औपचारिकता मात्र थी। इस औपचारिकता के पूर्ण हो जाने के बाद नवाज़ शरीफ़ की मुश्किलें और बढ़ा दी गयीं। इमरान खान ने अपने चुनाव अभियान के दौरान भष्टाचार के इर्द गिर्द जो ताना-बाना बुना था, वह उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाए। सत्तासीन होने के बाद इमरान खान ने इस मुद्दे को और जोर-शोर से प्रचारित-प्रसारित करने के साथ ही नवाज़ शरीफ़ और उनके करीबियों को कानूनी दाँव-पेंच में उलझाकर जेल की सलाखों के पीछे पंहुचाया। इसी बीच अप्रैल 2018 में मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अगुवाई में गठित उच्चतम न्यायालय की पाँच सदस्यीय खण्डपीठ ने समीउल्ला बनाम अब्दुल करीम नौशेरवानी मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले के अनुसार किसी लोकसेवक को अनुच्छेद 62(1)(f) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने की स्थिति में सार्वजानिक पदों पर आसीन होने की उसकी अयोग्यता स्थायी होगी और ऐसा व्यक्ति न तो चुनाव लड़ सकता है और न ही संसद का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। (भट्टी, 2018) यद्यपि यह निर्णय एक अन्य मुकदमें में आया था लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि इससे नवाज़ शरीफ़ के राजनीतिक भविष्य पर भी पूर्ण विराम लग गया।

इमरान खान एवं शीर्ष सैन्य नेतृत्व में मतभेद

पाकिस्तान की हर वास्तविक सामाजिक-आर्थिक समस्या का ठीकरा नवाज़ शरीफ़ के ऊपर फोड़कर एक सरकार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ लेने की इमरान खान की तकनीक बहुत दिनों तक कारगर साबित न हो सकी। समय बीतने के साथ ही आम जनमानस में सरकार के साथ-ही-साथ पाकिस्तानी सेना के प्रति भी नकारात्मकता उत्पन्न होने लगी। आम जनमानस में यह बात होने लगी की इमरान खान को सेना ने ही सत्ता में लाया था और उनकी सरकार के नाकारापन के लिए सेना ही जिम्मेदार है। चूँकि पाकिस्तानी सेना जनमानस में अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क रहती है, उसे इमरान खान की सरकार का प्रदर्शन रास नहीं आया जो आगे चलकर मतभेद में बदल गया। शासन सत्ता में रहते समय इमरान खान को यह भी लगने लगा था कि पाकिस्तानी सेना के पास उनके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं है शायद इसीलिए सेना द्वारा विभिन्न अवसरों पर चेताए जाने के बाद भी इमरान खान ने सेना को विपक्ष के विरुद्ध एक कामयाब अस्त्र की तरह उपयोग करने का यथासंभव प्रयास जारी रखा। आम लोगों को उनके दैनिक जीवन में राहत देने के बजाय, वह अगले चुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति पर कार्य करने लगे।

कुछ मौकों पर तो इमरान खान ने जनरल क़मर जावेद बाज़वा के सुझावों को अनुसुना करते हुए भी कार्य किया। उनमें से एक था पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आई.एस.आई. प्रमुख जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर बनाकर नए आई.एस.आई. प्रमुख की नियुक्ति करना। इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को अगले चुनाव तक आईएस।आई। प्रमुख बनाए रखना चाहते थे ताकि उनकी

सहायता से वह पुनः सत्ता में वापस आ सकें। इमरान खान के इस रवैय्ये से जनरल क़मर जावेद बाज़वा इस कदर नाराज थे कि एक बार उन्होंने उनके सचिव को फ़ोन करके यहाँ तक कह दिया था कि "अपने प्रधानमंत्री को बता दो कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। " इसके बाद इमरान खान ने उनसे नए आई।एस।आई। प्रमुख की नियुक्ति को लेकर कुछ और समय माँगा और बाद में जनरल नदीम अंजुम को नया आई।एस।आई। प्रमुख बनाया गया। इमरान खान द्वारा पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों की बातों को अनसुना करने के पीछे उनका यह विश्वास था कि सेना में छोटे पदों पर आसीन अधिकारियों का उन्हें समर्थन हासिल है। यह बात काफी हद तक ठीक भी थी और यही वजह है कि बहुत से विश्लेषकों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना के भीतर भेद पैदा कर दिया है।

अविश्वास प्रस्ताव एवं इमरान खान की मुश्किलें

सेना के शीर्ष नेतृत्व को इमरान खान द्वारा हर छोटे-बड़े राजनीतिक मामले में सेना का विपक्ष के विरुद्ध एक अस्त्र की तरह उपयोग करना गवारा नहीं था और इस तरह दोनों के बीच मतभेद बढ़ते गए और सन् 2022 आते-आते सेना ने इमरान खान को आतंरिक राजनीतिक मामलों में समर्थन देना बंद कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि विपक्षी नेताओं ने इसे एक अच्छा मौका समझकर संसद में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। प्रारम्भ में इमरान खान ने इस अविश्वास प्रस्ताव को रोकने के लिए बहुत से कानूनी एवं गैर-कानूनी हथकंडे अपनाए लेकिन शीर्ष सैन्य नेतृत्व द्वारा कोई समर्थन न मिलने से उनकी एक न चली और संसद ने अविश्वास प्रस्ताव पास कर उनकी सरकार गिरा दी। सरकार जाने के बाद इमरान खान ने आम जनमानस के बीच अपनी लोकप्रियता को देखते हुए सेना के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जल्द ही दोबारा चुनाव करवाने को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इमरान खान की इस रणनीति ने सेना को और अधिक चौकन्ना कर दिया तथा वह इमरान खान समेत उनके राजनीतिक दल पीटीआई को नेस्तनाबूद करने के लिए मौके की तलाश करने लगी।

इमरान खान की गिरफ़्तारी और 9 मई के दंगे

पाकिस्तान में भ्रष्टाचार निरोधी नेशनल एकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एन.ए.बी.) ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जाँच के दौरान यह पाया कि उनके पद पर रहते समय विदेशों से मिले तोहफों को या तो तोशाखाना में नहीं जमा कराया गया था या फिर उनकी काफी कम कीमत अदा करके उन्हें अपने पास रख लिया गया और बाद में अधिक मूल्य पर बेंचकर गलत तरीके से फायदा कमाया गया। तोशाखाना के इस मामले में 9 मई 2023 को जब इमरान खान को पहली बार गिरफ्तार किया गया तो पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में जमकर दंगे किए। इन दंगों के दौरान, पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार, सुरक्षा अधिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया। रावलपिंडी स्थित जी।एच।क्यू। एवं कोर कमांडर लाहौर के घर समेत अनके जगहों पर आगजनी व हमले किए गए। कोर कमांडर लाहौर के घर, जिसे जिन्ना हाउस भी कहते हैं, में घुसे इमरान समर्थकों ने न केवल तोड़-फोड़ की बल्कि रेफ्रिजरेटर से खाने का सामान भी निकाल लिया। एक समर्थक ने तो हद ही कर दी जब उसने वहाँ रखी कोर कमांडर की वर्दी पहन ली और सड़क पर आ गया।

सेना जिस मौके की तलाश में थी वह उसे 9 मई की घटना ने दे दिया जिसके बाद पीटीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं/समर्थकों पर कार्रवाई की शुरुआत हुई। प्रसिद्ध पत्रकार हामिद मीर ने इस मामले में अपने टीवी कार्यक्रम 'कैपिटल टॉक' में विचार रखते हुए कहा था की पाकिस्तानी सेना 9 मई के मामले को पाकिस्तान के अपने 9/11 के रूप में

देख रही है और इसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई कर सकती है। उनका विश्लेषण सटीक निकला क्योंकि जल्द ही पीटीआई के सारे बड़े नेताओं के खिलाफ मुकदमें दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जाने लगा। अन्य दूसरी व तीसरी श्रेणी के नेताओं पर इस कदर दबाव डाला गया कि वह एक बड़ी संख्या में पीटीआई से इस्तीफ़ा देकर सेना के इशारे पर नवगठित राजनीतिक दलों में शामिल होने लगे। ज्यादातर लोगों ने जहाँगीर खान तरीन की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (आईपीपी) तथा परवेज़ खटक की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन (पीटीआई) में शामिल होने का फैसला किया तो कुछ ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी।

इसके बाद शुरू हुआ मीडिया में इमरान खान के पूर्व सहयोगियों के साक्षात्कार या प्रेस कान्फ्रेंस का सिलसिला जिसमें पूर्व-पीटीआई नेताओं ने 9 मई के दंगों के लिए इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया। इन साक्षात्कारों और प्रेस वार्तालापों से इस बात की पुष्टि होती है कि इमरान खान अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यकर्ताओं व समर्थकों को अपनी संभावित गिरफ़्तारी के समय विरोध-प्रदर्शन के नाम पर सुरक्षा अधिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए उकसा रहे थे। इस बीच अगस्त 2023 में तोशाखाना मामले में इमरान खान को अदालत ने तीन साल की सजा सुना दी जिसके बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें जेल भेज दिया गया और तब से वह जेल के अन्दर ही हैं। जब कभी अदालत उन्हें किसी मामले में राहत देती है तो उन्हें फ़ौरन किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है।

नवाज़ शरीफ़ की वतन वापसी

चूँकि इमरान खान के सत्ता से बेदखल होने के उपरांत सत्ता पर काबिज होने वाला पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेन्ट (पी.डी.एम.) गठबंधन एक छोटे अंतराल के लिए ही अस्तित्व में आया था, इसलिए दिन-प्रतिदिन के शासन कार्यों के साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन के राजनीतिक धड़ों ने अगले आम चुनाव की तैयारियाँ भी शुरू कर दीं थी। इमरान खान की लोकप्रियता को देखते हुए शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के प्रति थोड़ी नरमी के संकेत देने शुरू किए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ ने भी अपने बड़े भाई नवाज़ शरीफ़ को सैन्य नेतृत्व-विरोधी बयानों से तौबा करने के लिए मना लिया। इस समय नवाज़ शरीफ़ ही एक ऐसे नेता थे जिन्हें इमरान खान के खिलाफ खड़ा करके पीटीआई को सत्ता में वापस लौटने से रोका जा सकता था। इसीलिए नवाज़ शरीफ़ के राजनीतिक निर्वासन को समाप्त कर उनके वतन वापसी की योजना बनाने का काम होने लगा। इस कड़ी में सर्वप्रथम जून 2023 में पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली ने 'चुनाव अधिनयम 2017' में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नवाज़ शरीफ़ के दोबारा चुनाव लड़ने के मार्ग में बड़ी बाधा को हटा दिया।

वास्तव में संसद द्वारा जून 2023 में 'चुनाव अधिनयम 2017' की धारा 232 (2) में संशोधन करके संविधान के अनुच्छेद 62(1)(f) के अंतर्गत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोग्य करार दिए गए व्यक्तियों के संसद या प्रांतीय विधायिका के सदस्य निर्वाचित होने पर लगे प्रतिबन्ध की समय सीमा पाँच साल तक सीमित कर दी गई। इस संशोधन के कानूनी जामा पहनने के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों में यह बहस तेज हो गई कि आगामी चुनाव में हालिया संशोधित चुनाव अधिनयम 2017 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 62(1)(f) के मामले में 2018 में दिया गया निर्णय प्रभावी होगा या नहीं। (शुक्ला, 2024) इस तरह नवाज़ शरीफ़ को विभिन्न कानूनी मुकदमों में राहत देने का सिलिला शुरू हुआ और अक्टूबर 2023 के अंत में नवाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तान की सरजमीं पर फिर से कदम रखा। (दि इकोनॉमिस्ट 26 अक्टूबर 2023)

मीर बादशाह खान कैसरानी का मामला

'चुनाव अधिनियम संशोधन 2017' और सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के निर्णय को लेकर जारी बहसों की बीच सरदार मीर बादशाह खान कैसरानी, जिन्हें फर्जी डिग्री के मामले में 2008 एवं 2018 के चुनाव में प्रतिभाग नहीं करने दिया गया था, का मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आया। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश काज़ी फैज़ ईसा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आजीवन प्रतिबन्ध और 'चुनाव अधिनियम 2017' में हुए हालिया संशोधन एक साथ नहीं चल सकते। (हुसैन 2023) उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या और कानून की असंगतियाँ आगामी आम चुनाव में संदेह पैदा कर सकती हैं। और इस तरह इस संदेह को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की एक सात सदस्यीय खण्डपीठ का गठन किया। (वही)

संविधान के इस महत्वपूर्ण उपबंध की व्याख्या सम्बन्धी पेचीदगियों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने वरिष्ठ वकील फैसल सिद्दीकी, उजैर करामात भंडारी, एवं कानूनी सलाहकार रीमा ओमर को एमिकस नियुक्त किया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश काजी फैज़ ईसा ने इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कैसे एक व्यक्ति (जिया उल हक़), जिसने अपनी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करते हुए संविधान को तबाह किया, संविधान में इस तरह की शर्तों को जोड़ सकता है। (इक़बाल, 2024) उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति के खुद का चरित्र पर सवालिया निशान हो, वह दूसरों के लिए आचरण सम्बन्धी शर्तों की बात कैसे कर सकता है।

अनुच्छेद 62(1)(f) के अंतर्गत आजीवन प्रतिबंध की समाप्ति

उच्चतम न्यायालय ने अपनी अनुच्छेद 62(1)(f) की पुनर्व्याख्या के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 62(1)(f) एक स्व-निष्पादक प्रावधान नहीं है क्योंकि इसमें न तो यह स्पष्ट किया गया है कि कौन सा न्यायालय किसी व्यक्ति के अन्दर उक्त अनुच्छेद में वर्णित गुणों के होने की घोषणा करेगा, और न ही उल्लंघन की दशा में उसे प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया एवं अवधि का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में अनुच्छेद 62(1)(f) की व्याख्या से स्थापित आजीवन प्रतिबन्ध उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा यह व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने 'चुनाव अधिनियम 2017' में किए गए हालिया संशोधनों को स्वीकार करते हुए प्रतिबन्ध को पाँच साल तक सीमित कर दिया।

अनुच्छेद 62(1)(f) के तहत आजीवन प्रतिबन्ध को समाप्त करने के पक्ष में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति काज़ी फैज़ ईसा के अतिरिक्त न्यायमूर्ति सय्यद मंसूर अली शाह, न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान, न्यायमूर्ति जमाल खान मंदोखेल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मज़हर और न्यायमूर्ति मुसर्रत हिलाली शामिल थे। उपरोक्त मामले में न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी ने अपनी लिखित असहमति दर्ज कराई थी। न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी यह मानते थे कि अप्रैल 2018 में समीउल्ला बलोच बनाम अब्दुल करीम नौशेरवानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कानून के अनुरूप है।

वर्तमान समय में उभरती परिस्थितियों के आलोक में न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी की असहमति को ज्यादा महत्त्व नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह दरकिनार करना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस तरह के मामले में एक असहमति भी भविष्य में न्यायालय की किसी दूसरी बड़ी खण्डपीठ के लिए अनुच्छेद 62(1)(f) की पुनर्व्याख्या का रास्ता खुला रखती है। इसलिए इस सकारात्मक निर्णय का

स्वागत तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही हमें असहमति पत्र का आने वाले समय पर पड़ने वाले प्रभाव को भी पूरी तरह दरकिनार नहीं करना चाहिए।

निष्कर्ष

इस बात में रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि पाकिस्तानी राजनीति को संचालित करने की कमान वास्तव में किसके हाथों में है। शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने एक सोची समझी एवं जाँची परखी रणनीति के तहत पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ की वतन-वापसी सुनिश्चित करते हुए 2006 में हुए "चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी" के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। नवाज़ शरीफ़ के रास्तों के काँटों का एक-एक करके हटना और एन.ए.बी. का उनके सभी मामलों में आत्मसमर्पण कर निष्प्रभावी हो जाना तथा न्यायपालिका द्वारा उन्हें राहत पर राहत देना, इमरान खान और पीटीआई को नेस्तनाबूद कर देना, सब किसी पूर्व लिखित कथानक का हिस्सा प्रतीत होते हैं। वर्तमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना हर कीमत पर इमरान खान को सत्ता में वापस आने से रोकना चाहती है और इसके लिए चुनाव पूर्व धोखाधड़ी के सारे कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इमरान खान सहित शीर्ष पीटीआई नेतृत्व जेल में है, उनका चुनाव निशान छीना जा चुका है और अब पीटीआई के सभी उमीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आगामी 6 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। पीटीआई इमरान खान की लोकप्रियता को भुनाने के लिए सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही है। उनके विरुद्ध नवाज़ शरीफ़ एक मात्र ऐसे नेता हैं जिनका न केवल एक राजनीतिक आधार एवं विरासत है बल्कि उनमें वह योग्यता भी है जिसके दम पर इमरान खान जैसे नेता को पछाड़ा जा सकता है। पाकिस्तानी सेना ने संभवतः इसीलिए नवाज़ शरीफ़ के साथ परदे के पीछे एक समझौता किया है जिसके तहत उनकी सत्ता में वापसी कराने का अभियान चला रही है। । अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तानी सत्ता का काँटों भरा ताज किसके हिस्से में आता है और कितनी देर तक उसके सर पर सुसज्जित रहता है।

सन्दर्भ

1. भट्टी, हसीब : डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 62(1)(एफ)ij फॉर लाइफ, एस सी रूल्स इन हिस्टोरिक वर्डिक्ट , दि डॉन , 13 अप्रैल 2018
2. गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान (2023): दि इलेक्शन एक्ट 2017, इस्लामाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ एंड जस्टिस, पृष्ठ 108-109
3. शुक्ला , आशीष (2024), पाकिस्तान में बदलता राजनीतिक परिदृश्य, एमपी – आईडीएसए इशू ब्रीफ, 18 जनवरी
4. नवाज़ शरीफ़ रिटर्न्स टू पाकिस्तान अगेन, दि इकोनॉमिस्ट, 26 अक्टूबर 2023
5. हुसैन सज्जाद: पाक सुप्रीम कोर्ट टू हीयर आन जनवरी 2, लाइफटाइम डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ़ पोलिटीसियंस , दि प्रिंट 1 जनवरी 2024
6. इक़बाल, नासिर : कांस्टीच्युशनल, कंट्राडिक्शन, पजल सीजेपी, दि डॉन, 3 जनवरी 2024

☆शोधार्थी, वर्ष 2023, अंक –तृतीय।

☆☆यह लेख शोधार्थी के लिए मूल रूप से लिखा गया है।